हैवीक्लैइंक का भारत में कम्पनी स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है जो अमरीकी फर्म की पूर्णतः स्वामित्व वाली एक शाखा होगी और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा उत्पादित मशीनी औजारों, साथ ही साथ अन्य इंजीनियरी उत्पादों को अमरीका में मैसर्स हनीवैल के अपने उपयोग के लिए निर्यात की सुविधाएं देगी।

पर्यटक स्थलों/तीर्थ स्थानों पर भिखारी

2270. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री समर गुह :
श्री न० रा० देवधरे :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटक स्थलों, पवित्र तीर्थ स्थानों तथा देश के बड़े शहरों में भीख मांगने की प्रवृत्ति के बढ़ने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमति) फूलरेणु गुह] : (क) और (ख). पर्यटन तथा पवित्र स्थानों में भिक्षावृत्ति की समस्या के बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) सरकार पर्यटन विभाग के साथ परामर्श से इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

[Bank loans to Small Scale Industries at concessional rates

2271. DR. P. MANDAL :
SHRI BENI SHANKER SHARMA :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) what are the important steps to encourage a small industry, including bank loans at concessional rates, as announced by him on the 16 September, 1969 at the meeting of the Consultative Committee of his Ministry ;

(b) whether the scheme to advance the entire cost of machinery required by small industrialist instead of asking the entrepreneur to pay 20 per cent of the cost, has been finalised and put into operation ; and

(c) the other measures, if any, likely to be taken to help the small scale industries ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AEFAIRS (SHRI F. A. AHEMD) : (a) to (c). The steps mentioned at the Informal Consultative Committee Meeting held on 16th September, 1969 are still under the consideration of the Government of India.

पश्चिम रेलवे में रेल गाड़ियों में चोरी तथा लूटपाट के मामले

2272. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में पश्चिम रेलवे में रेलगाड़ियों में चोरी तथा लूटपाट के कितने मामले हुए;

(ख) सरकार द्वारा एकत्र की गई जानकारी के अनुसार कितने मूल्य की वस्तुएं बरामद की गई ; और

(ग) इस मामले में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1969 के महीने में पश्चिम रेलवे पर लूटपाट की एक और चोरी की 58 घटनायें हुई थीं।

(ख) अगस्त-अक्तूबर, 1969 के दौरान चोरी गया जितना सामान बरामद किया गया, उसकी कीमत नीचे दी गयी है :—

लूट पाट	—	150 रु०
चोरी	—	16,395 रु०

(ग) चोरी के मामलों के सम्बन्ध में 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 8 व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और बाकी 4 के खिलाफ जांच की कार्रवाई चल रही है।

पश्चिम बंगाल तथा बिहार में चलती गाड़ियों में अपराध

2273. **हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलती गाड़ी में विशेषतया पश्चिम बंगाल और बिहार में अपराधों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1 अगस्त, 1969 से लेकर आज तक किये गए अपराधों के, राज्य-वार, आंकड़े क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन अपराधों को रोकने के लिए तथा भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) (1) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा सामान्य पुलिस व्यवस्था को कड़ा करने के अलावा, जैसे कि महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निगरानी रखने और अपराधियों एवं समाज-विरोधी तत्वों की धर-पकड़ के लिए समय-समय पर छापा मारने के अलावा, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों ने सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किये हैं और इसके लिए रात की महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों में रक्षकों की व्यवस्था की गयी है और प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र गश्त शुरू की गई है। विशेष शिविर स्थापित किये गए हैं। अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए पश्चिमी बंगाल की सरकारी रेलवे पुलिस को रेल सुरक्षा दल की कुमुक भी दी गयी है।

(2) पश्चिमी बंगाल में, संबन्धित क्षेत्र में होने वाले जघन्य अपराध की वारदातों के लिए जिम्मेवार अपराधियों पर निगरानी रखने तथा उन्हें पकड़ने के लिए रेल सुरक्षा दल की अपराध आसूचना शाखा और राज्य के खुफिया विभाग की सहायता से विशेष अपराध कक्ष भी स्थापित किया गया है।

(3) यार्डों में या स्टेशन प्लेटफार्मों पर रेल-सम्पत्ति की हिफाजत के लिए ड्यूटी पर तैनात रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों को सख्त हिदायत दे दी गयी है कि